


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेशः

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में क्रायर एसबीसिविल याचिका संख्या 2516/2021 बूटी राम बनाम सरकार व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 10.02.21 की अनुपालना में समसंख्यक आदेश दिनांक 19.02.2021 द्वारा प्रधानाचार्य श्री सुनील कुमार का अन्तरिम समायोजन शहीद वीर बहादुर सिंह राठौड़ राउमावि पारेवर जिला जैसलमेर (220424) किया गया था।

उक्त आदेश में श्री सुनील कुमार के समायोजन स्थान में संशोधन कर शहीद वीर बहादुर सिंह राठौड़ राउमावि पारेवर जिला जैसलमेर (220424) के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खारवाली(211528), खाजुवाला जिला बीकानेर किया जाता है। उक्त समायोजन माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 2516/2021 में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/2516/2021/127/ दिनांक: 01.04.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर/जोधपुर संभाग, बीकानेर/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर/जैसलमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)